मेरठ विकास प्राधिकरण

की

6ठीं बोर्ड बैठक

दिनाँक 3-3-78

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की दिनाँक 3-3-78 की बैठक की कार्यवाही

स्थान : न्यायालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
समय : 11-00 बजे प्रात:
उपस्थिति

क्र०सं०	नाम	पदनाम	
1-	श्री आर०एस०माथुर	आयुक्त	अध्यक्ष
2-	श्री आर०सी०दीक्षित	जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
3-	श्री आर०एन०पाण्डेय	उपसचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4-	श्री पी०के०पाण्डेय	उपसचिव, आवास	सदस्य
5-	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6-	श्री आई०बी०त्यागी	प्रशासक	सचिव
7-	श्री बी०बी०चौपडा	अधीक्षण अभियन्ता	सदस्य
8-	श्री आर०के०कपूर	अधिशासी अभियन्ता,सा.नि.वि.	सदस्य

1-पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी ।

श्री प्रेमचन्द टण्डन के अवैधानिक निर्माण का मामला ।

प्राधिकरण में विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तथा स्वीकृत नक्शे से प्रस्तावित निर्माण के विचलनों के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों का संकलन किया जाये तथा इस सम्बन्ध में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही की जाये ।

श्री भगवान सहाय मौर्य के अवैध निर्माण का मामला ।

श्री भगवान सहाय मौर्य ने गत बैठक के निर्णय का अनुपालन करते हुए न तो संधि शुल्क जमा की है और न सैट बैक खाली करने की सूचना दी है । अत: विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि अनियमित निर्माण को गिरवा दिया जाये ।

नवीन मण्डी का वर्तमान स्थल पर स्थानान्तरण।

प्राधिकरण के विचार विमर्श के बाद इस प्रस्तावित स्थल का अनुमोदन किया गया परन्तु प्रस्तावित स्थल का विस्तृत मानचित्र तैयार करके सहयुक्त नियोजक, मेरठ से समुचित योजना बनबा ली जाये और तुरन्त कार्यान्वयन किया जाये।

अनाधिकृत कालौनियों के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में विचार विमर्श के पश्चात आदेश हुए कि समस्त अनाधिकृत कालोनियों में निर्मित, अर्द्धनिर्मित, विद्यमान आबादी, खाली प्लाटो, सडकों, नालियों इत्यादि की स्थिति का विभागीय सर्वे करा लिया जाये। इन समस्त कालोनियों का मास्टर प्लान के सन्दर्भ में लैन्ड यूज देख लिया जाये तथा इनको मास्टर प्लान में अंकित करके इनको नियमित करने के सम्बन्ध में एक विस्तृत आख्या एवं संस्तुतियाँ आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायें।

हापुड रोड पर कमजोर सदस्यों के लिये नई कालौनी।

प्राधिकरण में विचार विमर्श के बाद आदेश हुए कि इस योजना के लिये बाँछित भूखण्डों की प्राथमिकता के आधार पर अध्याप्ति की जाये तथा प्रगति पर समुचित नजर रखी जाये।

दिल्ली रोड पर भूमि के अर्जन करने हेतु।

प्राधिकरण के आदेश हुए कि इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि अध्याप्ति हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये।

2/14 आबू नाले को पाटकर व्यवसायिक कॉम्पलैक्स के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के आदेश हुए कि इस योजना को तैयार करके समस्त दृष्टिकोणों से जाँचा जाये तथा पूर्ण रुपेण तैयार योजना को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्यान्वित किया जाये।

2/16 दामोदर हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसायटी।

चूँकि सोसायटी ने गत बैठक में निर्देशित एवं आश्वासित धनराशि रुपये 75,000/- प्राधिकरण कोष में जमा नहीं की है। अत: इस धनराशि को जमा होने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जाये।

2/20 सर्व श्री मोदी रबर लि०, मोदीपुरम के न्यासों एवं दातव्य संस्थानों के लिये भूमि का उपलब्ध किया जाना।

चूँकि भूमि को अधिग्रहण करके मोदी रबर लि० के लिये उपलब्ध करना प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अत: आदेश हुए कि इस सम्बन्ध में सर्वश्री मोदी रबर लि० स्वयं ही स्वतन्त्र रुप से कार्यवाही करें। भूमि उपलब्ध होने पर मेरठ महायोजना के सन्दर्भ में यदि भू-प्रयोग का विचलन हो तो संशोधन हेतु प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जाये।

2/23 सर्वोदय कालौनी का मामला

प्राधिकरण के आदेश हुए कि इस कालौनी के सर्वेशीटस तथा सहायक अभियन्ता की संस्तुतियों को सहयुक्त नियोजक से जॅचवा कर इसको नियमित घोषित करने की संभावनाओं पर विचार कर लिया जाये।

2/25देवी मन्दिर को जाने वाली सड़क के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के आदेश हुए कि इस सडक को महायोजना के प्राविधान के अनुसार ही रखा जाये।

3- श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री प्रेममनोहर द्वारा (प्रयोग में संशोधन) ग्रीन बैल्ट से ग्रुप हाउसिंग सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर विचार।

इस मामले पर विचार विमर्श हुआ। उपसचिव, वित्त विभाग ने यह कहा कि ऐसे सभी मामलों को देख लिया जाय और यह तय पाया कि इस प्रकार के मामलों के निपटारे के लिये एक उपसमिति जिसमें श्री आर०एन०पाण्डेय, उपसचिव, वित्त विभाग, श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एवं श्री आई०बी०त्यागी, प्रशासक एवं सचिव, मेरठ विकास

प्राधिकरण हो, गठित की जाये। यह उपसमिति स्थल के निरीक्षण कर प्राधिकरण की ओर से अन्तिम निर्णय ले लें।

4- ईश्वरपुरी-भगवतपुरा, मोहनपुरी मलिन बस्ती निपातन योजना की स्वीकृति हेतु।

चूँकि प्रस्तावित योजना नगरपालिका के कार्यक्षेत्र में आती है। विशेषकर जबकि प्रस्तावित भूमि भी नगरपालिका के स्वामित्व में है अत: इस योजना को प्राधिकरण ने सर्वसम्मिति से निरस्त किया।

5- आर्कीटैक्टों को लाईसेन्स देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०-8 दिनाँक 12-7-77 के तारतम्य में।

प्राधिकरण के आदेश हुए कि शासनादेश सं०-4318/37-2-97 (मिस)/77 दिनाँक 26-12-77 में संलग्न आदर्श बिल्डिंग बाईलाज नामक पुस्तिका में अपैन्डिक्स "बी" में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाये। सम्बन्धित अपैन्डिक्स "बी" की प्रतिलिपि परिशिष्ठ "क" के रुप में संलग्न है।

6- प्राधिकरण में निम्नलिखित आवश्यक सामग्री का क्रय किया जाना।

रोड रोलर (डीजल)	एक	130000
अमोनिया प्रिन्टस (मशीन)	एक	15,000
ड्राफ्टसमैन टेबिल (मेज)	एक	1500
थ्रडोलाईट	एक	6500
अंग्रेजी टंकनकल बडे रोलर की	एक	4000
साईकिल	एक	350

प्राधिकरण के आदेश हुए कि रोड रोलर एवं अमोनिया प्रिन्ट मशीन की खरीद को छोडकर अन्य सामानों की खरीद उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कर ली जाये। परन्तु यह आम राय थी कि जो मूल्य प्रस्तुत नोट में दिखाये गये है, उचित प्रतीत होते है। अत: क्रय करने की कार्यवाही सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए की जाये।

7- मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में स्वतन्त्र टेलीफोन लगवाने की स्वीकृति।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

8- नगर विकास क्षेत्र के नव विकसित कालोनियों का विकास व्यय।

प्राधिकरण के आदेश हुए कि समस्त अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कराया जायें किस कालोनी में क्या विकास होना है, विस्तृत विवरण तेयार किया जाये। विकसित कालोनियों में दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार विकास शुल्क निर्धारित किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा प्रसतावित कालौनियों में वेटरमेन्ट जार्चेज विभिन्न भूखण्डों के क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष रखे जायें जिनमें पूरा औचित्य भी दिया जाना चाहिए।

9 उपाध्यक्ष, सचिव एवं लेखाधिकारी की शक्तियों का प्रतिनिधायन।

प्राधिकरण के निम्नलिखित आदेश हुए

1- उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट 1973 की धारा 20(2) के अन्तर्गत प्राविधान :-

(क) सचिव को केवल एक खरीद, ठेका, कार्य इत्यादि पर बजट में प्राविधान होने पर रु० 500/- मात्र व्यय स्वीकृत करने का अधिकार दिया जाता है।

(ख) समस्त पूर्ति एवं ठेका अनुबन्धों पर मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से सचिव एवं कार्य के प्रभारी अभियन्ता को हस्ताक्षर.करने का अधिकार दियाजाता है।

2- चैक हस्ताक्षर करने का अधिकार :-

(क) रु० 5,000/- तक के समस्त चैकों पर सचिव तथा लेखाधिकारी को संयुक्त रुप से हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जाता है।

(ख) रु० 5001/- एवं इससे बडी धनराशियों के चैकों पर उपाध्यक्ष एवं सचिव संयुक्त रुप से यथावत हस्ताक्षर करते रहेंगे।

3- आय सम्बन्धी रसीदों पर हस्ताक्षर :-

नगर पालिका, मेरठ के प्रशासक ही मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव है । उनकी व्यस्तता को देखते हुए आय सम्बन्धी समस्त रसीदों को हस्ताक्षर करने का अधिकार लेखाधिकारी को दिया जाता है ।

10- मेरठ विकास प्राधिकरण में आर्कीटैक्ट प्लानर के पद का सृजन ।

सर्वसम्मति से आर्कीटैक्ट प्लानर के पद का रु० 800-1450 के वेतनमान में सृजन स्वीकार हुआ तथा आदेश हुए कि शासन तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से निवेदन किया जाये कि एक अनुभवी, कुशल एवं योग्य व्यक्ति को इस प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर भेजने की व्यवस्था की जाय जो अपने मूल वेतन पर निर्धारित दर पर प्रतिनियुक्ति वेतन अथवा उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन लेने के लिये तैयार हो साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से ज्ञात कर लिया जाये ।

11 तथा 12

प्रस्ताव सिद्धान्त रुप से स्वीकृत हुआ तथा आदेश हुए कि विस्तृत विवरण के साथ आर्थिक पहलू पर समुचित संस्तुतियाँ आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायें ।

13

जिला सिविल एवं सेशन जल, मेरठ द्वारा भेजी गयी संस्तुति पर विचार हुआ । प्राधिकरण के सचिव श्री त्यागी ने यह बात रखी कि जो पत्र प्राधिकरण की ओर से जिला जज को लिखा गया था उसमें दीवानी एवं फौजदारी में तर्जुवा रखने वाले वकीलों के नाम माँगे गये थे लेकिन जिला जज ने अपने पत्र में ऐसे नामों की संस्तुति की है जो राजस्व के वकील भी है । अत: यह निर्णय हुआ कि यह मामला जिला जज को पुन: भेज दिया जाये और इसमें दीवानी व फौजदारी के वकीलों के नामों की संस्तुति माँगी जाये । जब तक यह निर्णय लिया जाये प्राधिकरण के विवादों के लिये शासन द्वारा नियुक्त पैनल लाईयर्स में से समय-समय पर किसी को नियुक्त किया जा सकता हैं यदि पैनल लायर

उपलब्ध न हो तो नगरपालिका के अधिवक्ता की भी नियुक्ति किसी विशेष मामले में की जा सकती है ।

13-अ

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा उपसचिव वित्त विभाग ने यह विचार व्यक्त किया कि इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी प्राधिकरण के सामने उपलब्ध नहीं है जिस पर निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्यों की एक उपसमिति गठित की जाये:-

1- श्री जे० पी० दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ ।

2- श्री आर० एन० पाण्डेय, उपसचिव, वित्त विभाग, लखनऊ ।

3- श्री पी० के० पाण्डे, उपसचिव, आवास, लखनऊ ।

4- श्री आई० वी० त्यागी, प्रशासक/सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण ।

उपरोक्त उप समिति अपनी टिप्पणी एवं संस्तुति प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी ।

यह बिषय सहयुक्त नियोजक मेरठ द्वारा रखा गया । यह निर्णय लिया गया कि चूँकि यह कार्य जनहित का है, इन मकानों के बनाने के लिये महायोजना में उक्त स्थल के भू प्रयोग में संशोधन की अनुमति दी जाती है ।

ह०/-
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

ह०/-
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ